उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2014

अध्याय-1

प्रारम्भिक

(1) यह नियमावली ''उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली, 2014'' कही जायेगी।

(2) यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

1-(1) जब तक प्रसंग या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 से है;

(ख) ''आयोग'' का तात्पर्य ''उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग'' से है;

(ख) ''सहकारी नियमावली'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 से है;

(घ) ''निर्वाचन'' का तात्पर्य:-

(1) प्रतिनिधियों, या

(2) प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों या

(3) सहकारी समिति के सभापति/उपसभापति, अथवा अन्य समिति को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि के निर्वाचन से है;

(ङ) ''मतदाता'' का तात्पर्य किसी ऐसे सदस्य/प्रतिनिधि से है, जो अधिनियम, नियम और समिति की उपविधियों के अधीन मतदान करने का हकदार हो और इसके अन्तर्गत किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में अधिनियम की धारा-24 या धारा-29(7) के अधीन नाम निर्दिष्ट या नियम-42(ख) या 450 के अधीन सहयोजित या नियम-451 के अधीन नाम निर्दिष्ट व्यक्ति भी है और उसके नाम निर्वाचन के लिये तैयार की गई सम्बद्ध समिति या निर्वाचन क्षेत्र की अन्तिम मतदाता सूची में हों;

(च) ''मतदाता सूची'' का तात्पर्य निम्नलिखित से है-

(एक) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के निर्वाचन की स्थिति में, सामान्य निकाय के, यथास्थिति प्रतिनिधियों/सदस्यों की सूची;

(दो) समिति के सभापति, उपसभापति या प्रतिनिधियों के निर्वाचन की स्थिति में, सरकारी सेवकों से भिन्न प्रबन्ध कमेटी निर्वाचित, सहयोजित और नाम निर्दिष्ट सदस्यों की सूची;
(तीन) सदस्य के प्रतिनिधि के निर्वाचन की स्थिति में, उस क्षेत्र के या जहाँ से सम्बद्ध समिति के सामान्य निकाय में प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाना हो, सदस्यों की सूची;

(छ) ''उम्मीदवार'' का तात्पर्य अधिनियम, नियम या समिति की उपविधियों के अधीन पात्र ऐसे मतदाता से है, जो निम्नलिखित रूप में निर्वाचन लड़ने के लिए नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करता हैः-

(एक) प्रतिनिधि के रूप में, या
(दो) प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के रूप में, या
(तीन) सहकारी समिति के सभापति या उपसभापति के रूप में;

(ज) ''अनुसूचित जाति'', ''अनुसूचित जनजाति'' और ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का वही तात्पर्य है, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनूसूचति जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 में उनके लिए दिया गया है;

(झ) ''मण्डलीय सहकारी निर्वाचन अधिकारी'' का तात्पर्य सहकारी समिति के मुख्यालय से सम्बन्धित जनपद के मण्डल के मण्डलीय संयुक्त आयुक्त/उप आयुक्त एवं मण्डलीय संयुक्त निबन्धक/ मण्डलीय उप निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश अथवा ऐसे अधिकारी से है, जो उक्त पद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो;

(ञ) ''जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी'' का तात्पर्य उस जनपद के जिला मजिस्ट्रेट से है, जिसमें सम्बन्धित समिति का मुख्यालय स्थित हो;

(ट) ''जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी'' का तात्पर्य सहकारी समिति के मुख्यालय से सम्बन्धित जनपद के ''सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक'', सहकारिता अथ्वा ऐसे अधिकारी से है जो उक्त पद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो;

(ठ) ''निर्वाचन अधिकारी'' का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी से है, जिसे आयोग के निर्देशों के अधीन जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी सहकारी समिति या सहकारी समिति के वर्ग या वर्गों या किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए इस निमित्त निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया हो;

(ड) ''सहायक निर्वाचन अधिकारी'' का तात्पर्य निर्वाचन अधिकारी के कृत्यों के सम्पादन में सहायता करने के लिये जिला सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त एक या एक से अधिक नियुक्त अधिकारी से है;

(ढ) ''मतदान अधिकारी'' का तात्पर्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में मतदान स्थल के लिये नियुक्त अधिकारी से है जिसे निर्वाचन अधिकारी के कृत्यों के सम्पादन में सहायता करने और ऐसे अन्य कार्य हेतु नियुक्त किया गया हो, जो इस नियमावली के अधीन अपेक्षित हों;

(ण) ''सहकारी निर्वाचन पर्यवेक्षक'' का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जिसे आयोग द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों या समितियों के किसी वर्ग या वर्गों की सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं नियम संगत कार्रवाई का पर्यवेक्षण किये जाने हेतु नियुक्त किया गया हो;

(त) ''चुनाव चिन्ह'' का तात्पर्य आयोग द्वारा सहकारी समिति के उम्मीदवारों के निर्वाचन हेतु अनुमोदित प्रतीक चिन्ह से है;

(थ) ''निर्वाचन क्षेत्र'' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, जहां से निर्दिष्ट संख्या में सामान्य निकाय के प्रतिनिधि अथवा प्रबन्ध कमेटी के सदस्य के निर्वाचन हेतु जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी अथवा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाय;

(द) ''निर्वाचन स्थल'' का तात्पर्य समिति के कार्यालय या मुख्यालय या जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचित कार्यालय या मुख्यालय के यथासम्भव निकटतम किसी सार्वजनिक स्थल से है;

(ध) ''मतदान स्थल'' का तात्पर्य समिति के कार्यालय या मुख्यालय या जिला सहायक सहकारी निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचित किसी सार्वजनिक स्थल से है तथा सामान्य निकाय के गठन हेतु प्रतिनिधियों के निर्वाचन के मामले में मतदान स्थल, समिति के कार्यालय या मुख्यालय या शाखा के अतिरिक्त कोई अन्य सार्वजनिक स्थान होगा, जैसा निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवधारित किया गया हो;

(न) ''निर्वाचन वाद'' का तात्पर्य सहकारी समिति के निर्वाचन के पश्चात्, निर्वाचन से क्षुब्ध पक्षकारों द्वारा अधिनियम की धारा 70 के अधीन संस्थित वाद से है।

2- इस नियमावली में प्रयुक्त परन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम और सहकारी नियमावली में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।